

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक :- एफ 7/डी0वी0पी0/2025/ 2534

दिनांक :- 6-3-25 102/2025

-:: कार्यालय आदेश ::-

अनुमोदित ले-आउट प्लान (आवासीय योजना प्रयोजनार्थ) खसरा नं० 148 ग्राम कुन्हाड़ी क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान का समिति की बैठक दिनांक 31/07/2024 में लिये गए निर्णयानुसार अनुमोदन किया गया था। उक्त योजना में आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 2.5 % (प्रतिशत) भूखण्ड सं० 22 से 25 व 27 से 30 (08 भूखण्ड) क्षेत्रफल 6820 वर्गफीट आरक्षित किये गये थे।

योजना में आंतरिक विकास कार्य बावत् चार्टर्ड इंजीनियर के पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 10/12/2024 एवम् अभियांत्रिकी शाखा (सिविल/विद्युत/जल) की रिपोर्ट के आधार पर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के दृष्टिगत आरक्षित भूखण्ड सं० 22 से 25 व 27 से 30 (08 भूखण्ड) क्षेत्रफल 6820 वर्गफीट आरक्षित से मुक्त किये जाने प्रस्तावित है।

न्यास के आदेश दिनांक 12/1/2016 के अनुसार आरक्षित भूखण्डों के 10 प्रतिशत भूखण्डों की आरक्षित दर का 120 प्रतिशत अर्थात् आरक्षित दर + आरक्षित दर का 20 प्रतिशत के आधार पर कीमत की 3 वर्ष के लिए बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. लिए जाने का प्रावधान है। आवेदक द्वारा H.D.F.C. बैंक शाखा राजीव गांधी नगर, कोटा की एफ.डी.आर. क्रमांक 13022507560000033 राशि 3,80,292.00 रु. (तीन लाख अस्सी हजार दो सौ बानवें रुपये मात्र) दिनांक 13/02/2025 प्रस्तुत की गई है, जिसके फलस्वरु भूखण्ड सं० 22 से 25 व 27 से 30 (08 भूखण्ड) क्षेत्रफल 6820 वर्गफीट आरक्षित से मुक्त किए जाते हैं।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) उप सचिव (.....), कोटा विकास प्राधिकरण।
- (2) रजिस्टार, रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, उद्योग भवन, द्वितीय व तृतीय तल, आर.एस.आई.सी. विंग, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, राजस्थान, जयपुर।
- (3) जितेन्द्र गोयल पुत्र श्री चेतनराज गोयल जरिये मुख्तारनामा आम नै० न्यू आदिनाथ एसोसिएट्स जरिये भागीदार श्री परितेश जैन पुत्र श्री आदेश जैन निवासी मकान नं० 47, कमला उद्यान, कुन्हाड़ी, कोटा (राज०)।

सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण

Signature valid

Digitally signed by Koushal Kumar
Kothari
Designation : Secretary
Date: 2025.03.06 13:12:59 IST
Reason: Approved

